

F-125/18

रूपाहेलीखुर्द

चारिज  
हिस्सा  
नं 101

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

App. A  
Crim - I

## न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

सरकार जरिए तहसील बनेड़ा बनाम श्री किशन वर्मा

किस्म मुकदमा 88 RT act नं. 54/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	-----------------------------------	--

-4-18  
बकील वारी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 RT act  
विरुद्ध विपक्षीगण पेश किया गया। वाद पत्र बाद जाँच  
दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक  
28/5/18 को पेश हो।

28.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम  
रूपाहेलीखुर्द में पेश हुई। विपक्षीगण नियत शिविर में अनुपस्थित।  
प्रार्थी यानि राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा ने यह वादपत्र  
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट बाबत सहखातेदारान के हिस्सों के  
सही विभक्तीकरण करा, घोषणात्मक डिक्री चाहने अनुतोष आशय से  
यह राजस्व वाद पत्र प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का  
बारीकी से अध्ययन एवं परीक्षण किया गया। पत्रावली से संलग्न  
राजस्व आधार अभिलेख चालु जमाबन्दी संवत 2070-73 को देखने  
से यह प्रतीत होता है कि विवादित खाते में सभी सहखातेदारान के  
मध्य कही कोई हक हिस्से दर्ज नहीं है, एवं विवादित खाते का  
साबिक रेकार्ड भी वादी ने इस वादपत्र के साथ संलग्न नहीं किया है,  
जिससे सहखातेदारान के सही हक हिस्से की गणना कर  
विभक्तीकरण किया जा सके। इस प्रकार वादी ने यह वादपत्र  
त्रूटीपूर्ण/दोषयुक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। जो कि  
न्यायालय खारिज किया जाना उचित समझता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादी  
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट दोषयुक्त  
होकर, मेन्टेनेबल नहीं होने से अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित